छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक एफ 6–41/2011/एक (1) नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी, 2016

राज्य शासन के कतिपय विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/अन्य कार्यालयों में समान वेतनमान एवं समान योग्यता वाले तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के **वेबसाइटः cgvyapam.choice.gov.in** पर दिनांक **09.02.2016** से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1. **परीक्षा की तिथि**	– **13 मार्च 2016, रविवार,**
2. परीक्षा का समय	– पूर्वान्ह 9.00 से 12.15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	– 09.02.2016 (मंगलवार)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा भुल्क भरने की अंतिम तिथि	– 20.02.2016, रात्रि 11.59 तक (शनिवार)
ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन पेमेंट हेतु SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि	– 22.02.2016, सायं 5.00 तक (सोमवार)
ऑफलाइन (SBI Bank के चालान द्वारा) भुगतान की अंतिम तिथि	– 23.02.2016 बैंक के कार्यालयीन समय तक (मंगलवार)

4. परीक्षा शहर – 16 जिला मुख्यालय –

क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	कोड नंबर	क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	कोड नंबर
1	अम्बिकापुर (सरगुजा)	11	9	जशपुर नगर	19
2	बैकुण्ठपुर (कोरिया)	12	10	कांकेर	20
3	बिलासपुर	13	11	कबीरधाम (कवर्धा)	21
4	दंतेवाड़ा	14	12	कोरबा	22
5	धमतरी	15	13	महासमुंद	23
6	दुर्ग	16	14	रायगढ़	24
7	जगदलपुर (बस्तर)	17	15	रायपुर	25
8	जांजगीर–चांपा	18	16	राजनांदगाँव	26

5. परीक्षा शुल्क –

सामान्य वर्ग	**– 350/–**
अन्य पिछड़ा वर्ग	**– 250/–**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	**– 200/–**

1. रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान–

1. (अ) हिन्दी शीघ्रलेखक – 80 पद (वेतनमान रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन 2800)
   (ब) अंग्रेजी शीघ्रलेखक – 06 पद (वेतनमान रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन 2800)
2. डाटाएन्ट्री ऑपरेटर – 176 पद (वेतनमान रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन 2400)
3. सहायक ग्रेड–3 – 701 पद (वेतनमान रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन 1900)
4. स्टेनोटायपिस्ट – 174 पद (वेतनमान रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन 1900+ विशेष वेतन रूपये 125/–

2. विभागवार रिक्त पदों की जानकारी

क्र	विभाग का नाम	भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या			
		शीघ्रलेखक	डाटाएन्ट्री आपरेटर	सहायक ग्रेड–3	स्टेनो टायपिस्ट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मंत्रालयीन सेवा (सामान्य प्रशासन विभाग)	21 (04 पद अंग्रेजी 17 पद हिन्दी)	03	144	40
	सामान्य प्रशासन विभाग (एन्टी करप्शन ब्यूरो)	00	01	03	00
	आर्थिक अपराध अन्वेशन व्यूरो	00	04	01	00
	छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग	00	02	05	03
	छ.ग. राज्य सूचना आयोग	01	**02**	04	00
	प्रशासन अकादमी	03	00	03	02
	आयुक्त, विभागीय जांच आयोग, रायपुर सामान्य प्रशासन विभाग	01	00	01	01
2	गृह (लोक अभियोजन)	03	01	50	10
	मेडिकोलीगल संस्थान गृह विभाग	01	01	01	00
	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला	00	04	11	00
	छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज	00	00	03	00
	नगर सेना	01	01	12	00
3	जेल विभाग	01	12	08	00
4	वित्त विभाग (स्थानीय निधि संपरीक्षा)	01	06	03	05
	वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	02 (01पद अंग्रेजी)	02	02	00
	कोष, लेखा एवं पेंशन	00	20	00	00
	संस्थागत वित्त	00	00	01	00
5	वाणिज्यिककर विभाग(बेवरेजकार्पो.)	01	02	02	01
	वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)	00	05	20	03
	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन)	00	00	15	17
6	परिवहन विभाग	01	12	20	02
7	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	00	05	24	00
8	वन विभाग (राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)	01(अंग्रेजी)	00	00	01
9	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं)	00	00	01	01
	(उद्योग संचालनालयं)	16	**00**	00	00
	(वाष्पयंत्र निरीक्षकालय)	01	01	03	01

क्र	विभाग का नाम	भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या			
		शीघ्रलेखक	डाटाएन्ट्री आपरेटर	सहायक ग्रेड–3	स्टेनो टायपिस्ट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	खनिज साधन विभाग संचालनालय	00	00	06	02
11	ऊर्जा विभाग (मुख्य विद्युत निरीक्षक)	00	01	05	01
12	कृषि विभाग (कृषि संचालनालय)	00	03	02	03
	संचालक उद्यानिकी	00	00	14	00
	बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	00	00	05	03
13	पशुधन विकास विभाग संचालनालय	00	01	00	00
14	श्रम विभाग (श्रमायुक्त)	00	07	00	02
	श्रम न्यायिक संगठन	00	00	20	09
15	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य सेवाएं)	**09**	**01**	00	00
	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	00	00	06	00
	आयुष संचालनालय	01	01	03	03
16	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (विधि विभाग)	**01**	**00**	**00**	**00**
17	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	08	20	40	25
18	आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग आयुक्त कर्यालय	01	02	07	03
19	समाज कल्याण विभाग संचालनालय	00	00	02	00
20	खाद्य विभाग (खाद्य संचालनालय)	00	00	03	01
	खाद्य विभाग (नियंत्रक विधिक माप विज्ञान)	00	00	03	00
	खाद्य विभाग (छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन)	00	00	34	00
21	संस्कृति विभाग (संस्कृति एवं पुरातत्व)	00	00	05	00
22	जलसंसाधन विभाग(प्रमुख अभियंता)	00	00	00	13
23	आवास एवं पर्यावरण विभाग (नगर तथा ग्राम निवेश)	00	00	02	00
	(छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल)	**02**	**00**	**17**	00
	छ.ग.गृह निर्माण मंडल	00	00	47	04
	रायपुर विकास प्राधिकरण	01	00	00	03
24	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (प्रमुख अभियंता)	00	34	12	05
25	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग (रोजगार एवं प्रशिक्षण)	00	00	99	07
26	विमानन (संचालनालय)	02	00	01	01
27	संसदीय कार्य विभाग	—	—	01	02
28	महिला एवं बाल विकास विभाग (संचालनालय महिला एवं बाल विकास)	05	16	14	00
29	ग्रामोद्योग विभाग (हाथकरघा संचालनालय)	01	04	09	00
	भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान	00	00	03	00
	रेशम प्रभाग	00	02	04	00
	महायोग–(3+4+5+6) = 1137	**86**	**176**	**701**	**174**

3 रिक्त पदों में आरक्षण की जानकारी

1. पद नाम एवं संख्या – शीघ्रलेखक (हिन्दी एवं अग्रेजी) – (86 पद)

क्र.	वर्ग	पद संख्या				योग
		अनारक्षित	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन	
01	अनारक्षित	37	08	02	01	48
02	अनुसूचित जाति	04	–	–	–	04
03	अनुसूचित जनजाति	17	06	–	–	23
04	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	11	–	–	–	11
	योग	69	14	02	01	86

2. पद नाम एवं संख्या – डाटा एन्ट्री आपरेटर (176 पद)

क्र.	वर्ग	पद संख्या				योग
		अनारक्षित	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन	
01	अनारक्षित	52	20	–	05+05CF	82
02	अनुसूचित जाति	12+1 CF	03	–	–	16
03	अनुसूचित जनजाति	40+1 CF	12	02	–	55
04	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	17	05	01	–	23
	योग	123	40	03	10	176

3. पद नाम – सहायक ग्रेड–3 (701 पद)

क्र.	वर्ग	पद संख्या				योग
		अनारक्षित	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन	
01	अनारक्षित	176	76	19	16	287
02	अनुसूचित जाति	51+07CF	16	02	02	78
03	अनुसूचित जनजाति	142+15CF	59	15	08	239
04	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	66+5CF	21	03	02	97
	योग	462	172	39	28	701

4. पद नाम – स्टेनो टायपिस्ट (174 पद)

	वर्ग	पद संख्या				योग
क्र.		अनारक्षित	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन	
01	अनारक्षित	58	14	03	04	79
02	अनुसूचित जाति	10	04	–	–	14
03	अनुसूचित जनजाति	39+1CF	11	03	01	55
04	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	21+1CF	04	–	–	26
	योग	130	33	06	05	174

टीपः– **CF** से तात्पर्य अग्रणित **(Carry Forword)** पद से है।

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, क्रमांक 592/2012, क्रमांक 593/2012 तथा क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्ययीन रहेंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार अथवा संबंधित कार्यालय की आवश्यकता अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

4. पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं :–

1. शीघ्रलेखक :–

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था / शीध्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से

- (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए – हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
- (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
- (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए – ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिदिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

नोटः–(1) उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक का डिप्लोमा / प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।
(2) उपरोक्त क्रमांक 2 एवं 3 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यार्थियों की दक्षता / कौशल परीक्षा के समय ही की जायेगी।

2. डाटा एन्ट्री आपरेटर :–

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(2) डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अग्रेंजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नोटः– (1) उपरोक्त क्रमांक 1 से 2 तक का डिप्लोमा / प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।
(2) उपरोक्त क्र. 2 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यार्थियों की दक्षता / कौशल परीक्षा के समय ही की जायेगी।

3. सहायक ग्रेड–3 :–

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण –पत्र तथा,

3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नोटः–(1) उपरोक्त क्रमांक 1 से 2 का डिप्लोमा / प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।
(2) उपरोक्त क्रमांक 3 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यार्थियों की दक्षता / कौशल परीक्षा के समय ही की जायेगी।

4. स्टेनोटायपिस्ट :—

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय <u>डिप्लोमा/प्रमाणपत्र</u> तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

नोटः—(1) उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 3 का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।

(2) उपरोक्त क्रमांक 2 एवं 3 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यार्थियों की दक्षता/कौशल परीक्षा के समय ही की जायेगी।

(3) उपरोक्त वर्णित योग्यता न्यूनतम योग्यता है। अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व, यह आश्वस्त हो ले कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है।

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :— शीघ्रलेखक/डाटाएंट्री ऑपरेटर/स्टेनोटायपिस्ट/सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर विषय से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र कमांक एफ 9–1/2008/1/3, दिनांक 01.02.2013 एवं कमांक एफ 9–4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 द्वारा निर्धारित की गई, के अनुसार होगी।

5. आयु–सीमा —अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2016 में निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु–सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. नियुक्ति के लिए भार्तें—

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो ।
2. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किये हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. ऐसे उम्मीदवार जिसके 02 से अधिक संतान हो, जिनमें किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे ।
4. आवेदक को अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची, हायर सेकेन्ड्री की अंकसूची, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां कौशल परीक्षा के समय प्रस्तुत करना होगा ।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3, दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीद्वारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप –(एक) के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. चयनित उम्मीद्वारों को कार्यभार ग्रहण करते समय स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों की भलीभांति जॉच कर लेवें । एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. छ.ग. लोक सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार विज्ञापित पदो के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
9. चयनित अभ्यर्थियो को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।
10. चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस व्हेरीफिकेशन के पश्चात् सेवा में लिया जायेगा।
11. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी। यदि आयु भी समान हो तो लिखित परीक्षा में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीद्वार को वरीयता दी जायेगी ।
12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तो का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
13. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

7. परीक्षा पद्धति –

(अ) संयुक्त लिखित परीक्षा

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ,रायपुर द्वारा उपरोक्त सभी पदों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 200 अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 200 वस्तुनिष्ठि प्रश्न पूछे जायेंगे –

1 सामान्य अध्ययन	– 50 अंकों के कुल	50	प्रश्न
2 सामान्य मानसिक योग्यता	– 30 अंकों के कुल	30	प्रश्न
3 कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी	– 30 अंकों के कुल	30	प्रश्न
4 सामान्य गणित	– 30 अंकों के कुल	30	प्रश्न
5 सामान्य हिन्दी	– 40 अंकों के कुल	40	प्रश्न
6 सामान्य अंग्रेजी	– 20 अंकों के कुल	20	प्रश्न

8. मूल्यांकन पद्धति :–

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (–) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिऐ शून्य **(zero)** अंक प्रदान किये जायेंगे।

(ब) कौशल परीक्षा –

1. लिखित परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची से कौशल परीक्षा हेतु कुल रिक्तियों के विरूद्ध 1:5 (एक अनुपात पांच) में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
2. कौशल परीक्षा केवल संभागीय मुख्यालय – रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर और जगदलपुर में आयोजित की जावेगी ।
3. सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु हिन्दी में कम्प्यूटर टायपिंग 5000, डाटा एन्ट्री ऑपेरेटर के पद हेतु 8000 'की–डिप्रेशन की गति तथा शीघ्रलेखक के लिए 10,000 डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावेगी जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।
4. स्टेनो टायपिस्ट पद के लिये आयोजित प्रायोगिक परीक्षा हेतु हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति से डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसे अनुवाद कर समय–सीमा में शुद्धता से टाईप करना होगा तथा कम्प्यूटर में डाटाएंट्री की 5,000 की 'डिप्रेशन की गति' होना अनिवार्य होगा।

5. शीघ्रलेखक पद के लिए आयोजित प्रायोगिक परीक्षा हेतु हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसे अनुवाद कर समय–सीमा में शुद्धता से टाईप करना होगा तथा कम्प्यूटर में डाटाएंट्री की 10,000 की 'डिप्रेशन की गति' होना अनिवार्य होगा।

यात्रा–व्यय –

लिखित परीक्षा के लिये उम्मीद्वारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक आना होगा तथा इसके लिये किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। कौशल परीक्षा हेतु (हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर आपरेटिंग) बुलाये गये छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थानीय (मूल) निवासी को जो कहीं सेवारत न हो, एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व दिया जायेगा, जिसके लिये वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित सभी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नहीं मिलेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन, एवं कम्प्यूटर आपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा, भले ही लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक, चयनित अंतिम उम्मीदवार जो दोनों लिखित व प्रायोगिक परीक्षा में बैठा हो, से अधिक क्यों न हो। उम्मीद्वारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से योग्य है।

9. कॉउसिलिंग –

व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीद्वारों की लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार तथा वर्गवार मेरिट सूची सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध की जावेगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग हेतु बुलाया जावेगा । उम्मीद्वारों के दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् विभागवार चयन सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित विभागों को सौंपी जावेगी जिसके आधार पर विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा ।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, व्यापम का परीक्षा संचालन नियम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध होगा।

4.2.16

(ईमिल लकड़ा)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग